

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

2160
01/04/09



सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA

प.स.23

निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

MSME
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi-110 108

Ph. EPABX-23063800, 23063802, 23063803, 23063804, 23063805 & 23063806

5(2)/2008-सू.ल.म.उ. नीति

दिनांक : 26.3.2009

उप (SS) सेवा में,

आयुक्त (उद्योग)

उद्योग विभाग,

उद्योग भवन, तिलक मार्ग,

जयपुर-05, राजस्थान ।

31 MAY 2009

02/04
E on Cell

विषय: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के लागू होने से पूर्व की स्थाई पंजिकृत
इकाई को अपंजिकृत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्राक एफ15(1)/आयु.उ./ई.एम.अनु./एम.एस.एम.ई.-नीति/
2009 दिनांक 17.2.2009 का संदर्भ लें ।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के 2 अक्टूबर 2006 से लागू होने के उपरान्त
लघु उद्योगों के पंजियन/अपंजियन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है । अतः 2 अक्टूबर 2006 से पहले स्थाई/अस्थायी
रूप से पंजिकृत किसी भी लघु उद्योग को अपंजिकृत करना आवश्यक नहीं है ।

भवदीय
(पी० के० सिनहा)

उपनिदेशक (एमएसएमई नीति)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक: एफ 15 (1) आयु.उ./ई.एम.अनु./एमएसएमई -नीति/2009
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 25 MAY 2009

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त ।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त ।
3. फंक्शनल अधिकारी (मुख्यालय) समस्त ।
4. मास्टर फाइल

संयुक्त निदेशक, उद्योग